बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0सं0–6/एन0–08–121/2023–......... /पटना–15, दिनांक–..................................

विभागीय आदेश ज्ञापांक–1142(6), दिनांक–19.07.2023 के माध्यम से राईट पाथ फाउण्डेशन, 201 आर0 इनक्लेव, रोड नं0–3/331, न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना–800013 द्वारा संचालित माता सुशीला इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, सैयद बहरी, हिलसा, चण्डी रोड, नालन्दा अंतर्गत ए0एन0एम0, जी0एन0एम0, बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में सीट वृद्धि हेतु मान्यता प्रदान करने के लिए उपलब्ध भौतिक संरचनाओं, सुविधाओं एवं संसाधनों की भारतीय उपचर्या परिषद एवं विभाग द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप जाँच हेतु डॉ0 नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।

2–विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष डॉ0 नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक–267/अ0नि0को0, दिनांक–18.10.2023 के माध्यम से उक्त संस्थान के निरीक्षणोपरान्त सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर अवधी विस्तार किया जा चूका है।

3–विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त माता सुशीला इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन, सैयद बहरी, हिलसा, चण्डी रोड, नालन्दा का भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप भौतिक संसाधन, मानव संसाधन एवं अन्य सुविधाएँ पाये जाने के फलस्वरूप ए0एन0एम0, जी0एन0एम0, बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में पूर्व निर्धारित सीटों की संख्या में वृद्धि करते हुए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 100 (एक सौ) सीट पर नामांकन लेने हेतु जांच प्रतिवेदन के आधार पर निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती हैः–

(क) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, नालन्दा समय–समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देश के आलोक में अपना Suitability प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र/छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ङ) संस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।

(च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना (ii) सिविल सर्जन, नालन्दा तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 – इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(डॉ0 सुनील कुमार झा)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

क्रमशः

ज्ञापांक : 6/एन0–08–121/2023...178(6)   पटना दिनांक– 18/01/2024

प्रतिलिपिः– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0–2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज–01, नई दिल्ली–110020/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, नालन्दा/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निबंधक, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाईं हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी, बी0सी0ई0सी0ई0बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाईं हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, राईट पाथ फाउण्डेशन, 201 आर0 इनक्लेव, रोड नं0–3/331, न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना–800013 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18.1.24

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6/एन0–08–121/2023...178(6)   पटना दिनांक– 18/01/2024

प्रतिलिपिः– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0–2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज–01, नई दिल्ली–110020/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, नालन्दा/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निबंधक, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाईं हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी, बी0सी0ई0सी0ई0बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाईं हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, राईट पाथ फाउण्डेशन, 201 आर0 इनक्लेव, रोड नं0–3/331, न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना–800013 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18.1.24

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।